HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
No. HVS-LA-41/2025/2864 Dated: 15 December, 2025

NOTICE

Since the prorogation of the last October, 2025 of the Haryana Vidhan Sabha, the Governor of the State of Haryana has promulgated the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2025 (Haryana Ordinance No. 3 of 2025).

1. A copy of the said Ordinance (in English & Hindi) are sent herewith as required under Rule 168(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

2. The aforesaid Ordinance will also be laid before the Haryana Vidhan Sabha during its ensuing Session.

3. The said Ordinance shall cease to operate at the expiration of six weeks from the commencement of the Session of the Haryana Vidhan Sabha, or if before the expiration of the said period a resolution disapproving the same is passed by the Haryana Vidhan Sabha, upon the passing of the resolution (vide Article 213 (2) of the Constitution of India). Within this period any member may, after giving three days notice to the Secretary, move a resolution disapproving the above mentioned Ordinance.

15/12/2025

(Kulbir Singh),
Under Secretary,
for Secretary.

To

All the Members of the Haryana Vidhan Sabha.

हरियाणा विधान सभा सचिवालय
सं. एच.वी.एस.–एल.ए.–41/2025/2860 दिनांकित 15 दिसम्बर, 2025

सूचना

हरियाणा विधान सभा के गत् अक्तूबर, 2025 के सत्रावसान के बाद से, हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश सं. 3) प्रख्यापित किया है।

1. हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 168 (1) के अधीन यथा अपेक्षित उक्त अध्यादेश की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी) इसके साथ भेजी जाती है।
2. पूर्वोक्त अध्यादेश को हरियाणा विधान सभा के आरम्भ होने वाले अपने आगामी सत्र में भी रखा जाएगा।
3. उक्त अध्यादेश, हरियाणा विधान सभा का सत्र आरम्भ होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन का संकल्प हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित हो जाता है तो संकल्प पारण होने पर प्रवर्तन में न रहेगा (भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (2) द्वारा)। इस कालावधि के अन्दर कोई भी सदस्य सचिव को तीन दिन की सूचना देने के पश्चात् ऊपरवर्णित अध्यादेश के निरनुमोदन का संकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

10/12/2025

(कुलबीर सिंह),
अवर सचिव,
कृते: सचिव।

सेवा में

हरियाणा विधान सभा के समस्त सदस्यगण।

PART - II

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 30th October, 2025

No. Leg. 25/2025.— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 28th October, 2025, is hereby published for general information:-

HARYANA ORDINANCE NO. 3 OF 2025

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

AN

ORDINANCE

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2025. Short title.

2. In section 11 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994,- Amendment of section 11 of Haryana Act 11 of 1994.

(i) in sub-section (5), after the word "extraordinary", the word "general" shall be omitted;

(ii) in sub-section (7A),-

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that to consider and approve the identified eligible beneficiaries of any Government Scheme or to prepare a Gram Panchayat Development Plan, forty percent of the members of Gram Sabha shall form the quorum. If at the time fixed for the meeting, there is no quorum, the Sarpanch shall wait for one hour and if within such period of one hour there is no quorum, the Sarpanch shall adjourn the meeting to such time on the following day or such day as he may decide. The business only, which was to be brought before the scheduled meeting, shall be brought and transacted in the adjourned meeting and thirty percent of the members of Gram Sabha shall form the quorum of such meeting. In case there is no quorum of thirty percent of the members of Gram Sabha in the adjourned meeting then in the next meeting the quorum shall be twenty percent of the members of Gram Sabha.".

CHANDIGARH:
THE 28TH OCTOBER, 2025.

PROF. ASHIM KUMAR GHOSH
GOVERNOR OF HARYANA

RITU GARG,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT,
HARYANA, LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

12196—L.R.—H.G.P., Pkl.

भाग–II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 नवम्बर, 2025

संख्या लैज. 25/2025.– दि हरियाणा पंचायती राज (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 नवम्बर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:–

2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. यह अध्यादेश हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 में,– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन।

(i) उप–धारा (5) में, "विशेष महाधिवेशन" शब्दों के स्थान पर, "विशेष अधिवेशन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–धारा (7क) में,–

(क) अंत में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु किसी सरकारी स्कीम के चिन्हित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए अथवा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु, ग्राम सभा के चालीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी। यदि बैठक हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि एक घंटे की ऐसी अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच, बैठक को अगले दिन या ऐसे दिन के ऐसे समय तक, जो वह निश्चित करे, स्थगित कर देगा। केवल वही कारबार, जिसे बैठक के समक्ष लाया जाना था, स्थगित बैठक में लाया जाएगा और संव्यवहारित किया जाएगा और ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से ऐसी बैठक की गणपूर्ति होगी। यदि स्थगित बैठक में ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति नहीं होती है, तो अगली बैठक में ग्राम सभा के बीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी।"।

चण्डीगढ़:
दिनांक 14 नवम्बर, 2025.

प्रो0 असीम कुमार घोष
राज्यपाल, हरियाणा।

.....

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।